

राजस्थान सरकार
आयुक्तालय कालेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ1() पीएस/निकाशि/2019/312

दिनांक- 29.9.19

आदेश

कॉलेज शिक्षा विभाग के निम्नलिखित कार्मिकों का स्थानान्तरण उनके नाम के सम्मुख अंकित महाविद्यालय में प्रशासनिक कारणों से तत्काल प्रभाव से किया जाता है :-

क. सं.	कार्मिक का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	कहां से (राज0 महा0)	कहां को (राज0 महा0)
1	देवकीनन्दन वर्मा	अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी	कन्या चौमू	धिमनपुरा
2	राजेश कुमार जीनगर	सहायक प्रशासनिक अधिकारी	निम्बाहेड़ा	चित्तौड़गढ़
3	महेश किशोर सक्सेना	प्रयोगशाला सहायक	उनियारा	टोंक
4	शफीकुर्रहमान जई	प्रयोगशाला सहायक	जोधपुर (हॉल कार्यव्यवस्थार्थ पीपाड़शहर)	मगरा पुजला-सरदारपुरा
5	सोहन लाल (RVRES)	प्रयोगशाला सहायक	थानागाजी	लूणकरणसर
6	दीपक सिंह जादौन	प्रयोगशाला सहायक	कला दौसा	बांदीकुई
7	नवीन श्रीमाली	प्रयोगशाला सहायक	राममंजमण्डी	विज्ञान कोटा
8	मुकेश कुमार	वरिष्ठ सहायक	कन्या सीकर	सुजानगढ़
9	राजेन्द्र कुमार टांक	कनिष्ठ सहायक	कन्या बीकानेर	बज्जू (बीकानेर)
10	अभय शंकर झा	कनिष्ठ सहायक	मांगरोल	अन्ता
11	खरता राम चौधरी (RVRES)	कनिष्ठ सहायक	भोपालगढ़ (हॉल कार्यव्यवस्थार्थ बालोतरा)	बालेसर
12	करीलाल मोई	च0श्रे0 कर्मचारी	सीमलवाड़ा	डूंगरपुर
13	नीर सिंह गुर्जर	च0श्रे0 कर्मचारी	सिकराय	सिकन्दरा
14	राजेन्द्र सिंह बारेठ (RVRES)	शोध सहायक	मण्डफिया	मगरा पुजला-सरदारपुरा में अतिरिक्त प्रशासनिक अधिकारी पद के विरुद्ध

नोट:- उक्त कार्मिकों को नियमानुसार यात्रा भत्ता एवं योगकाल देय होगा।

(प्रदीप कुमार बोरड़) 29/9/19
आयुक्त, कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव,
उच्च शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री, उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर की अशा.टीप क्रमांक वि.स./रा.म./उ.शि./2019/2053 दिनांक 29.09.2019 एवं 2064 दिनांक 29.09.19 के संदर्भ में।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, राज0 जयपुर।
3. निजी सचिव, आयुक्त कॉलेज शिक्षा एवं विशिष्ट शासन सचिव, उच्च शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।
4. प्राचार्य, संबंधित राजकीय महाविद्यालय को निर्देशित किया जाता है कि उक्त कार्मिकों को अविलम्ब कार्यमुक्त/कार्यग्रहण करवाकर रिपोर्ट विभाग की ई-मेल आई.डी. Jdadmn.cce@gmail.com पर प्रेषित करावें।
5. संबंधित कार्मिक।
6. वेबसाइट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि आदेश को विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।
7. स्थापना शाखा/ RVRES शाखा/रक्षित पत्रावली।

संयुक्त निदेशक,
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर।